प्रेषक,

अन्जुम खान,
न्यायिक मजिस्ट्रेट,प्रथम,
आगरा।
आई.डी.न.–1698

सेवामें,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायलय,
इलाहाबाद।

द्वारा: जनपद न्यायाधीश,
आगरा

विषय: पासपोर्ट के आवेदन हेतु पासपोर्ट एक्ट के प्राविधानों के अनुसार राजकीय कर्मचारी का परिचय प्रमाण पत्र (आईडेण्टिटी सर्टिफिकेट) जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सन्दर्भित विषय के सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि :–

1. यह कि प्रार्थिया के ससुर मोहम्मद असहद सऊदी अरब में रहते हैं मैं उनके यहां जाना चाहती हूँ जिस हेतु मुझे पासपोर्ट की आवश्यकता है।

2. यह कि मेरे परिवार का विवरण निम्न है:–

क–	श्री अबदुल्लाह	आयु लगभग 33 वर्ष (पति)
ख–	मास्टर आयान	आयु लगभग 1–1/2 वर्ष (पुत्र)

3. यह कि मैं तथा मेरा परिवार भारतीय नागरिक है।

4. यह कि प्रार्थिया भारत देश के बाहर किसी भी ऐसी गतिविधि में न तो लिप्त है और न लिप्त होगी जो कि भारत देश की सम्प्रभुता एवं अखंडता के विरूद्व होगा।

5. यह कि प्रार्थिया का भारत देश से प्रस्थान भारत देश की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेगा।

6. यह कि भारत से बाहर प्रार्थिया का प्रस्थान किसी भी विदेशी देश से उसके मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के लिये हानिकारक नहीं है।

7. यह कि प्रार्थिया का विगत 5 वर्षो में या कभी–भी किसी भी सक्षम न्यायालय से नैतिक अधमता से जुडे मामले या अन्य मामले में दोषसिद्व नहीं किया गया है और न ही प्रार्थिया कभी किसी मामले में जेल में निरुद्ध रही है।

8. यह कि प्रार्थिया ने कभी कोई दण्डनीय अपराध कारित नहीं किया है और न ही प्रार्थिया के विरूद्व कोई आपराधिक मामला किसी आपराधिक न्यायालय में लम्बित है।

9. यह कि प्रार्थिया के विरूद्व किसी भी न्यायालय के द्वारा उपस्थिति के सम्बन्ध में कोई समन या वारण्ट जारी नही किया गया है और न ही प्रार्थिया को किसी सक्षम न्यायलय द्वारा भारत से बाहर जाने के लिये प्रतिबंधित किया गया है।

10. यह कि प्रार्थिया को प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है।

Reg.104

11. यह कि केन्द्र सरकार की राय में यदि आवेदिका के पक्ष में पासपोर्ट जारी किया जाता है तो वह लोकहित में होगा।

12. यह कि मेरी विदेश यात्रा के कारण उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष किसी भी शर्मनाक स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं है।

13. यह कि प्रार्थिया के पक्ष में परिचय प्रमाण पत्र (आईडेण्टिटी सर्टिफिकेट) जारी करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र कभी निरस्त नहीं किया गया है।

14. यह कि प्रार्थिया के द्वारा कभी भी कोई विदेश यात्रा नहीं की गयी है।

15. यह कि आवेदक के विरूद्व कोई विभागीय या विजीलेन्स जॉच नहीं चल रहीं है।

16. यह कि भारत छोड़ने के पूर्व मैं मान्नीय उच्च न्यायालय से नियमानुसार उचित माध्यम से अनुमति प्राप्त करूँगी।

अतः सादर निवेदन है कि मुझे पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु मान्नीय उच्च न्यायालय से परिचय प्रमाण पत्र (आईडेण्टिटी सर्टिफिकेट) दिलाने की कृपा करें जिससे मैं पासपोर्ट प्राप्त कर सकूँ।

सादर

सादर

भवदीया

(तरन्नुम खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, आगरा।
आई.डी.सं0–1698

दिनांकः

संलग्नकः–

1. शपथ पत्र एक अदद
2. पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ चार अदद

पत्रांक सं० 315/7 दिनांक 3/02/14

अग्रसरित।
3-2-2014.
जिला जज, आगरा
3.2.14

Regi. 104

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये Rs.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

District NOTARY Advocate KOMAL SINGH VERMA Reg. 09(44)91 AGRA U.P. Govt. AGRA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AC 205187

Before Registrar General Honorable High Court of Uttar Pradesh (Allahabad)

AFFIDAVIT

Respected Sir,

I, **Mrs. Tarannum Khan, Judicial Magistrate, First, Agra W/o Mr. Abdullah**, resident of **B-9, Judge Colony, Nehru Nagar, Agra** as an applicant, affirm on oath:-

(a) that the applicant is a citizen of India;

(b) that the applicant may not, or is not likely to engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

(c) that the departure of the applicant from India may not or is not likely to, be detrimental to the security of India;

(d) that the presence of the applicant outside India may not, or is not likely to prejudice the friendly relations of India with any foreign country;

(e) that the applicant has at any time during the period of five years immediately preceding the date of her application, not being convicted by a court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than two years;

8373

District NOTARY Advocate KOMAL SINGH VERMA Reg. 09(44)91 AGRA U.P. Govt. AGRA

24

स्टाम्प विक्रय की तिथि 03/02/2014

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता 200

स्टाम्प की धनराशि

विष्णु अग्रवाल
लाइसेंस नं. 35
लाइसेंस की अवधि 31-3-2016
दीवानी परिसर आगरा

Reg: 104

(f) that proceedings in respect of any offence alleged to have not been committed by the applicant are pending before a criminal court in India;

(g) that a warrant or summons for the appearance, or a warrant for the arrest, of the applicant has not been issued by a court under any law for the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has not been made by any such court;

(h) that the applicant has not been repatriated.

(i) that in the opinion of the Central Government the issue of a passport or travel document to the applicant will be in the public interest.

1. There is no possibility of arising embarrassing position before the Government of U.P. due to my visit to any foreign country.

2. Issuance of 'Identity Certificate' for obtaining a passport was never refused to me.

3. I have not visited any foreign country till now.

Certified that the contents of para (a) to (i) and 1 to 3 affidavit are true in my personal knowledge.

District NOTARY Advocate KOMAL SINGH VERMA Reg. 02(44)91 AGRA U.P. Govt. AGRA

Deponent

Tarannum Khan

Tarannum Khan,

Judicial Magistrate, First Agra

Mrs Tarannum Khan
Iden. by Abdullah R/o B.9 Judge Compound Nehru Nagar
07/02/14

07/02/14

Request 104

Attested
3-2-2014,
TRICT JUDGE, AGRA
(U.P.)

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 14:21:32 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad